

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- रजिया बानू

विपक्षी :- मुबारिक हुसैन वगैरह

किस्म मुकदमा :- विविध आ.9नि.9 जा.दी.

पत्रावली संख्या :- 14/21 विविध

जीसीएमएस नम्बर :- 2021/97

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|--|--|
| | <p>दिनांक : 17.07.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. पर सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहाँ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुए विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी का कथन है कि अधिवक्ता द्वारा हर समय न्यायालय में पेशी पर हाजिर नही होने हेतु एवं जरूरत होने पर बुलाने हेतु कह रखा था। अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही दी गई एवं हम प्रार्थीगण को भी अवगत नही कराया गया। इस कारण से प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। परन्तु वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p>मूल पत्रावली संख्या 154/13 प्रार्थना पत्र उनवान रजिया बानू बनाम मुबारिक हुसैन का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 26.08.2014 को प्रार्थी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। हम प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है तो</p> | |



किसी भी पक्षकार के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। इस कारण से मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 200/- दो सो रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 154/13 प्रार्थना पत्र उनवान रजिया बानू बनाम मुबारिक हुसैन में पारित आदेश दिनांक 26.08.2014 को अपास्त किया जाता है तथा मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। अधिवक्ता प्रार्थीगण मूल प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली